HRA का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-अण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 1347] No. 1347] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2012/आवाह 28, 1934 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2012/ASADHA 28, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2012

का.आ. 1640(ओ).— यतः यहां नीचे उहिलखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताय था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा44 के प्रायधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर, 2010 की सा.आ.सं. 2415 (ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिममें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपतियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे: और

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपितयों /सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और
- 3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानूपर्यक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लियाः और
- 4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा ।।ए की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रथोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधनः

जोन-भी' में भाने वार्ज निस्त्रनियित 4 प्रस्तावों का भ-४पयोग निस्त्रनियित विवरण के अनुसार है :

| क्र. सं. | स्थान | क्षेत्रफल हैक्टेयर में | भूमि उपयोग (दि.मु.यो४०२१) | प्रस्तायित भूमि उपयोग | सीमाएं |
|-------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| 1. | समयपुर बादली का शेष भाग | 42.5 हैक्ट. | आवासीय | 35 - ीयः (एस। : विनिर्माण) | उत्तरः रेलये रोड दक्षिणः संजय गांधी ट्रॉसपोर्ट नगर भूके सम्बन्धर भावली आभागान कर पश्चिमः उत्तर रेलये लाइन (अम्याला को) |

| 2. | जहांगीर पुरी के निकट मुकरबा चौक पर कब्रिस्तान | 1.0 हैक्ट. | उपयोगिता(यू-3 ईएसएस) | सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधा (पीएस 1:कब्रिस्तान) | उत्तरः बाहरी रिंग रोड दक्षिणः संजय एन्कलेय से सटा हुआ शापिंग परिसर पूर्वः विद्यमान ईएसएस पश्चिमः जी.टी. करनाल रोड |
|----|--|-------------|---------------------------------------|---|--|
| 3. | राष्ट्रमंडल खेल-2010 के लिए दिल्ली विश्यविद्यालय, उत्तरी कैंपस में खेलकूद सुविद्याएं और सहायक संरचना | 5.78 हैक्ट. | मतोरंजनात्मक (पी2 : जिला पार्क) | सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक (पी एस 3 खेल सुविधाएं/परिसर/स्टेडियम/ खेल केन्द्र) | उत्तरः जी.सी. नारंग मार्ग दक्षिणः श्रेया मिश्रा मार्ग पूर्वः विश्वविद्यालय मार्ग पिषमः मेघद्त होस्टेल के निकट कायेरी लेन |
| 4. | चन्द्रायल याटर यक्स में अग्नि शमन केन्द्र | 1.00 हैयट. | उपयोगिता (यू 1: जल शोधन संयंत्र) | सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक (पी एस 1 अग्नि शमन केन्द्र) | उत्तरः चन्द्रायल याटर यक्सं दक्षिणः चन्द्रायल याटर यक्सं पूर्वः याहरी रिंग रोड पिष्मः चन्द्रायल याटर यक्सं |

[फा. सं. के-13011/11/2012-हीहीआईबी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2012

S.O. 1640(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2415(E) dated 5th October, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; And

- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; And
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021; And

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following 4 proposals falling in Zone-C as per description listed below:-

| SI. No. | | Area in Ha. | Land use (MPD- 2021) | Land use changed to | Boundaries |
|------------|--|-------------------|--|--|---|
| 1. | Left over part of Samaipur Badli | 42.5 Ha. | Residential | Industrial (M1 Manufacturing | North: Railway Road South: Sanjay Gandhi Transport Nagar East: Samaipur Badli, Industrial Area West: Northern Railway Line (To |
| 2. | Graveyard at Mukarba Chowk near Jahangirpuri | 1.0 Ha. | Utility (U-3 ESS) | Public and Semi Public Facility [PS-1 Burial Ground (Graveyard)] | North: Outer Ring Road South: Shopping Complex adjoining Sanjay Enclave East: Existing ESS West: G.T. Karnal Road |
| | Sports facilities and associated infrastructure at North Campus, Delhi University for Common Wealth Games-2010 | 5.78 ∱a. | Recreational (P2: District Park) | Public and Semi-Public (PS3- Sports Facilities/ Complex/ Stadium/ Sports Centre) | North: G.C. Narang Marg South: Shreya Mishra Marg East: Vishwavidyalaya Marg West: Cavalry Lane near Meghdoot Hostel |
| 6 | Fire Station at Chandrawal Water Works | | Utility (U1: Water Treatment Plant) | | North: Chandrawal Water Works South: Chandrawal Water Works East: Outer Ring Road West: Chandrawal Water Works |

[F. No. K-13011/11/2012-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secv.